Transfer Policy of Nationalised and Private Sector Banks

209. DR. RANBIR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to State:

(a) the details of the transfer policy of the nationalised and private sector banks followed in respect of low-paid employees, like clerks etc. and is that policy being followed uniformly by all the banks;

(b) whether there is any provision in the policy to relax the transfer policy in respect of those whose spouse work in Government of India offices and such offices do not have their offices outside Delhi; and

(c) if not, the reasons therefor and the effect of such a policy on those families?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): The transfer policy in public / private sector banks is decided by their respective managements depending upon their requirements, branch spread etc. Transfers of clerical and subordinate staff in the public sector banks are effected in accordance with para 536 of the Sastry Award which provides that, in general, the policy should be to limit the transfers to the minimum, consistent with banking needs and efficiency. This category of employees should not ordinarily be transferred beyond the language area. In all cases the number of transfers to which a workman is subjected should be strictly limited and normally it should not be more than once a year.

(b) and (c) Although there is no separate policy for transfer of bank employees whose spouses are working in Government Offices, the public sector banks endeavour to accommodate, to the extent possible, such requests keeping in view administrative convenience and availability of substitutes etc.

विदेशी वित्तीय सहायता

210. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या यह सच हैं कि देश में विदेशी वित्तीय सहायता का इष्टम उपयोग नहीं किया जा रहा हैं;

(ख)यदि नहीं, तो सभी विदेशी स्रोतों से वर्ष 1993,1994 और 1995 के दौरान प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्त तक वित्तीय सहायता के रूप में देश में कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग)उपरोक्त वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष उस महीने के अन्त में प्राप्त की गयी उक्त विदेशी सहायता की धनराशि में से कितनी धनराशि अनप्रयुक्त पड़ी हैं; और

(घ)उपरोक्त वर्ष में अनप्रयुक्त धनराशि का कितना प्रतिशत विद्युत, सिंचाई सड़क निर्माण, रेलवे, कोयला, इस्पात और औद्योगिक अनुसंधान से संबंधित परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया था।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम0 वी0 चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्ष 1993 1994 और 1995 के दौरा विदेशी स्रोतो से प्राप्त उपयोग में लाई गई वित्तीय सहायता (श्रण और अनुदान) विवरण। और ॥ में दी गई हैं।

(ग)और (घ) परियोजना से संबंद्ध विदेशी सहायता उपयोगिता के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई हैं। उस रूप में प्राप्त की गई कोई भी राशि अप्रयुक्त नहीं रह गई हैं। हालांकि इन क्षेत्रो में कुल असंवितरित विदेशी सहायता निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1. शक्ति	33956	18731	16035
2. सिंचाई	3871	2163	1459
3. सड़कें	2409	2224	2527
4.रेलवे	2422	1875	1023
5. कोयला	655	264	84
6.उद्योग	2946	1960	1422
(स्टील और औद्योगिक अनुसंधन भी शामिल हैं)			